

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

RBA No. -----
GST Circular No. 17/2020

No. 2017/AC-II/1/11/GST References

23rd March, 2020

General Managers,

All Zonal Railway/Production Units and Director/Finance, Operation/CRIS

Sub:-Postponement of procedure for capturing the IRN and QR Code on tax invoices under GST to **1st October, 2020.**

Refer: Railway Board's letter issued as RBA No. 20/2020 dated 25.02.2020

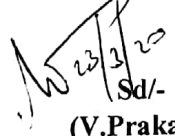
Railway Board vide letter ibid had brought out the certain changes that needs to be followed by zonal railways/production units in the procedure of issuing tax invoices under GST w.e.f. 1st April 2020. Now, Central Board of Indirect Taxes and Customs(CBIC) has issued Notification Nos. 13/2020-Central Tax&14/2020- Central Tax, both dated 21stMarch 2020 to extend the date for implementation of e-invoicing (i.e. capturing IRN and QR Code on tax invoices) from 1st April 2020 to 1st October 2020.

Also, vide aforementioned notifications, CBIC has exempted **the passenger transportation services supplied by Indian Railways from the e-invoicing provisions.** Therefore, no IRN or QR code need to be generated and printed on the tickets issued for passenger transportation services.

However, all the other services supplied by Indian Railways including services by way of transportation of goods, supply of sleepers, supply of goods by Production Units, etc. have not been exempted from e-invoicing provisions. Therefore, as per provisions applicable as on date, zonal railways/production units shall continue to be liable to follow the procedure of issuing tax invoices as prescribed vide RBA No. 20/2020 dated 25.02.2020, for all the supplies, except for the passenger transportation services.

It is desired that Principal Railways must immediately undertake the exercise of familiarizing themselves with the above changes in the procedure of issuing invoices so that the invoices are issued in the prescribed manner from the revised appointed date of 1st October, 2020.

This issues with the approval of PED/Accounts.


Sd/-
(V.Prakash)
**Joint Director/Accounts
Railway Board**

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं.-----

जीएसटी परिपत्र सं.17/2020

सं. 2017/एसी-II/1/11/जीएसटी रेफरेंस

23 मार्च, 2020

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एवं निदेशक/वित्त, परिचालन/क्रिस

विषय :- 1 अक्टूबर, 2020 से जीएसटी के अंतर्गत कर बीजकों पर आईआरएन और क्यूआर कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया का स्थगन।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 25.02.2020 का पत्र आरबीए सं. 20/2020.

रेलवे बोर्ड ने उक्त पत्र के तहत कुछ परिवर्तन किए हैं, जिनका क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से जीएसटी के अंतर्गत कर बीजकों को जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। अब, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड(सीबीआईसी) ने ई-इनवॉयसिंग (अर्थात कर बीजकों पर आईआरएन और क्यूआर कोड प्राप्त करने के लिए) के कार्यान्वयन हेतु तारीख को 1 अप्रैल, 2020 से बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2020 तक करने के लिए दिनांक 21 मार्च, 2020 को दो अधिसूचनाएं सं.13/2020-केंद्रीय कर और 14/2020- केंद्रीय कर जारी की हैं।

साथ ही, उपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ई- इनवॉयसिंग प्रावधानों से भारतीय रेल द्वारा दी जा रही यात्री परिवहन सेवाओं को छूट दी गई है। अतः, यात्री परिवहन सेवाओं के लिए जारी की गई टिकटों पर आईआरएन अथवा क्यूआर कोड जनरेट और प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, भारतीय रेल द्वारा दी जा रही अन्य सभी सेवाओं जिसमें माल परिवहन के माध्यम से सेवाएं, स्लीपर्स की आपूर्ति, उत्पादन इकाइयों द्वारा माल की आपूर्ति आदि शामिल हैं, को ई-इनवॉयसिंग प्रावधानों से छूट नहीं दी गई है। अतः, आज की तारीख से लागू प्रावधानों के

अनुसार, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयाँ यात्री परिवहन सेवाओं को छोड़कर, शेष सभी आपूर्तियों के लिए दिनांक 25.02.2020 के आरबीए संख्या 20/2020 के तहत यथा-निर्धारित कर बीजक जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

यह वांछा की जाती है कि मुख्य रेलें बीजक जारी करने की प्रक्रिया में उपरोक्त परिवर्तनों के साथ स्वयं को तत्काल अवगत कराएं ताकि बीजक 1 अक्टूबर, 2020 की संशोधित नियत तारीख से निर्धारित तरीके से जारी किए जाएं।

इसे पीईडी/लेखा के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(वी.प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड